न्यायालय :– विशेष न्यायाधीश, अ.जा. और अ.ज.जा.(अत्याचार निवारण) अधिनियम, इन्दौर (म.प्र.)
(समक्ष– देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा)

(आदेश दिनांक 15.05.2025)

{विशेष प्रकरण क्रं. 02 / 2023}
संस्थित दि 06.01.2023
CIS NO. SC ATR/610/2023
CNR No. MP0901/000939/2023

(आरक्षी केन्द्र भंवरकुआ, इंदौर के अपराध क्रमांक 1244 / 2022)

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र
भंवरकुआ, इंदौर

——— अभियोगी

(श्री विशाल श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक)

विरूद्ध

जयेश पिता प्रभुलाल चौधरी,
आयु– 25 वर्ष, धंधा– पढ़ाई,
निवासी– वार्ड नं. 13, तलवडिया थाना धनगांव जिला खण्डवा

——— अभियुक्त

(श्री पवन सोलंकी अधिवक्ता)

:: आदेश अन्तर्गत धारा 255 भा.ना.सु.सं., 2023 ::
(आज दिनांक **15 मई, 2025** को पारित)

01. आरोपी के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 376(1), 376(2)(एन), 323, 294, 506 तथा धारा 3(2)(v) व 3(2)(va) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोप लगाये जाकर विचारण किया गया है।

02. आरोपी को राजीनामा के आधार पर भा.द.सं. की धारा 294, 323 व 506(2) के आरोपों से दोषमुक्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 376(1), 376(2)(एन) भा.द.सं. तथा धारा 3(2)(v) व 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अशमनीय अपराध का आरोप होने से विचारण जारी रहा है।

03. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि अभियोक्त्री ने एक टाईपशुदा आवेदन प्रदर्श पी–3 दिनांक 12.12.2022 को थाना भंवरकुआं पर इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह फरवरी सन् 2021 में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी तथा गणेश किराना स्टोर्स के पास फूलवाली गली भोलाराम उस्ताद मार्ग इंदौर में किराये के मकान में रहती थी, वहीं उसकी जान–पहचान आरोपी जयेश चौधरी से हुई थी। आरोपी का कमरा अभियोक्त्री के कमरे के पास ही था, तभी उन दोनों की दोस्ती हो गयी थी। 10 जुलाई 2021 आरोपी जयेश ने अभियोक्त्री को प्रपोज किया और कहा था कि वह अभियोक्त्री से शादी करना चाहता है, प्यार करता है। अभियोक्त्री ने आरोपी पर विश्वास कर उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया था। इसी बीच आरोपी जयेश ने कोर्ट मैरिज करने का वादा करके अभियोक्त्री के किराये के रूम में उसके साथ कई बार लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोपी जयेश को जब भी अभियोक्त्री शादी का बोलती थी तो आरोपी जयेश उसके साथ झगड़ा कर, नंगी नंगी गालियां देकर मारपीट करता था और हमेशा डराता था कि अगर यह बात किसी को बतायी तो जान से मार देगा। अभियोक्त्री के साथ आरोपी जयेश चौधरी ने शादी का झूठा झांसा देकर कई बार उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। तत्पश्चात् अभियोक्त्री ने उसकी दोस्त ईशा सोनी के साथ जाकर घटना की रिपोर्ट करने थाने आई। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना भंवरकुआं पर अपराध

क्रमांक 1244/2022 पर आरोपी के विरूद्ध प्रदर्श पी–4 पंजीबद्ध की गई। पुलिस ने फरियादी का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–1 को जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–2 अनुसार जप्त किया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी.5 तैयार किया गया। अभियोक्त्री के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथना प्र.पी.6 अनुसार कराये गये। अनुसंधान उपरांत आरक्षी केन्द्र भंवरकुआ इंदौर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपी के विरूद्ध आदेश की कंडिका 1 में वर्णित धाराओं के अंतर्गत आरोप निर्मित कर पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया है।

05. अभियोक्त्री अ.सा.1 का साक्ष्य लेखबद्ध किया गया। उक्त धाराओं के संबंध में उक्त साक्षी की साक्ष्य में आरोपी के विरूद्ध कोई परिस्थिति दर्शित न होने से आरोपी परीक्षण स्थगित किया गया।

सकारण निष्कर्ष

06. साक्षी अभियोक्त्री अ.सा. 1 जो घटना की फरियादी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी है, ने अपनी साक्ष्य में मात्र यह कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है तथा वह स्वयं खटिक जाति की है। घटना के समय अभियोक्त्री और आरोपी दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तैयारी के दौरान आरोपी से दोस्ती हो गई थी, कुछ गलत फहमियो के कारण आरोपी उसे छोडकर चला गया था। उसने थाना भंवरकुआं पर एक शिकायती आवेदन दिया था जो पुलिस के कहने पर टाईप करवाया था। शिकायत आवेदन प्रदर्श पी–3, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी–5 पर अपने हस्ताक्षर मात्र प्रमाणित किया है। स्वयं का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–1 पुलिस द्वारा जप्त किया जाना प्रकट कर जप्ती

पंचनामा प्रदर्श पी–2 पर हस्ताक्षर प्रमाणित किया है। पक्ष विरोधी घोषित कर उत्तरसूचक प्रश्न के दौरान अभियोजन मामले के परिप्रेक्ष्य में दिये गये समस्त सुझावों को इंकार कर पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी–6 व 7 के सारवान अंशों की ओर ध्यान आकृष्ट कराये जाने पर रिपोर्ट लिखाया जाना एवं पुलिस को बयान देना इंकार किया है। शिकायत आवेदन प्रदर्श पी–3 पुलिस ने टाईप करवाई थी, उसने सिर्फ हस्ताक्षर किया था तथा न्यायालय में धारा 164 द.प्र.सं. के कथन प्रदर्श पी–6 स्वैच्छया से नहीं दिया था। इस प्रकार साक्षी अभियोक्त्री अ.सा.1 ने अपनी साक्ष्य दौरान अभियोजन मामले की कतई पुष्टि नहीं की है।

07. मामले में अन्य साक्ष्य नहीं है।

08. घटना के समय आरोपी ने गैर अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य रहते हुए अभियोक्त्री को अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए अभियोक्त्री अ.सा.1 को शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना उसके साथ बलात्संग किया हो, बार–बार बलात्संग किया हो, जातिगत आधार पर गाली–गलोच किया हो, जातिगत आधार पर मारपीट की हो, जान से मारने की धमकी दी गई हो, इस संबंध में कोई भी तथ्य इन साक्षीगण की साक्ष्य से परावर्तित नहीं होता है।

09. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य में आरोपित धाराओं के अपराध के संबंध में आरोपी के विरूद्ध कोई भी तथ्य प्रमाणित न होने से आरोपी को भा.द.सं. की धारा 376, 376(2)एन तथा 3(2)(v) व 3(2)(va) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप पूर्णतः अप्रमाणित पाते हुये उक्त धाराओं के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

15.5.25

देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.ज.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर

10. प्रकरण में जप्तशुदा आरोपी के अंडरवियर, सीमन स्लाईड तथा पीड़िता के वेजाईनल स्लाईड, अंडरवियर, प्यूबिक हेयर इत्यादी मूल्यहीन होने से बाद अपील अवधि नष्ट किए जावे, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

11. आरोपी का धारा 468 बी.एन.एस.एस. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

स्थान–इंदौर
दिनांक– 15 मई, 2025

।। देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा।।
विशेष न्यायाधीश,
अ.जा. और अ.ज.जा.(अत्या.निवा.)अधि.
इन्दौर (म.प्र.)

देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि., इन्दौर